

संख्या-08/78 -आई0टी0-2-2001

प्रेषक,

ओ.एन. वैद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2001

विषय: कम्प्यूटर कय प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

शासनादेश सं0 1056/78-आई0टी0-2001/25आई0टी0-2001 दिनांक 01.08.2001 को समाहित करते हुए उसमें वर्णित कम्प्यूटर कय प्रक्रिया को निम्नवत् स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है:-

2 कम्प्यूटर कय करने के लिए संबंधित विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों के पास निम्न तीन विकल्प होंगे-

- (क) वह कय प्रक्रिया अपने स्तर पर आयोजित करे
- (ख) वह यूपीडेस्को, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन या निक्सी को कय आदेश दें।
- (ग) वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी को कय हेतु अधिकृत करें।

3 संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा यदि शासन स्तर पर स्वयं कम्प्यूटर कय किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो विभागीय कय समिति निम्न प्रकार से होगी:-

1. प्रशासनिक विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव -अध्यक्ष
2. आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि
3. वित्त विभाग के प्रतिनिधि
4. यूपीडेस्को अथवा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
5. स्टेट इन्फार्मीटिक्स आफिसर, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि

4. यदि प्रशासनिक विभाग उचित समझे तो कय विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी कराया जा सकेगा। ऐसी दशा में कय समिति निम्नवत् होगी:-

- 1). विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष
- 2). विभाग के वित्त नियन्त्रक/ विभाग में वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख
- 3). विभाग में कार्यरत राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ
- 4). यूपीडिस्को अथवा यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
- 5). स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफिसर, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि

5. राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों द्वारा कम्प्यूटर कय स्वयं किये जाने की दशा में कय समिति निम्नवत् होगी:-

- 1) संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- 2) संगठन के वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख
- 3) संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख
- 4) संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित 2 वाह्य विशेषज्ञ
- 5) एन.आई.सी. के स्थानीय प्रतिनिधि

6. विभागों के शासन अथवा विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से संबंधित के जिलाधिकारियों को भी कम्प्यूटर कय हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इस हेतु कय समिति निम्नवत् होगी:-

1. संबंधित जिलाधिकारी अधिकारी -अध्यक्ष
2. संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी
3. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (राजस्व विभाग के मामले में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी)
4. जिले में तैनात कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी
5. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.
6. वाह्य तकनीकी विशेषज्ञ (जिलाधिकारी के विवेकानुसार)

यह जिलाधिकारी का विवेक होगा कि वह कय उपरोक्तानुसार समिति से करेंगे अथवा वे यूपीडिस्को, यू.पी.एल.सी. अथवा निक्सी को कय आदेश दे सकेंगे।

7. जिन मामलों में कृय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला अथवा मण्डल स्तर पर दी जाती है, उनमें संबंधित जिला अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 को व्यवस्था के अनुसार कम्प्यूटर कृय किया जा सकेगा। सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं इनके अनुरूप अन्य निधियों के अर्न्तगत होने वाले कम्प्यूटर कृय भी इस प्राविधान से आच्छादित होंगे।

8. एक वर्ष में रु० 10.00 लाख तक की सीमा के कम्प्यूटर कृय करने के लिये शासन के समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी/अन्य शासकीय संगठन/जिलाधिकारी शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुमोदित पैनल में कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं जो कि अलग-अलग ओरिजनल एक्विपमेंट मैनुफ़क्चरर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि हो, से कोटेशन मांग कर कृय आदेश जारी कर सकेंगे। शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार अनुमोदित पैनल सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उसमें यथासमय यथावांछित संशोधन किये जाते रहेंगे।

9. कम्प्यूटर कृय स्टोर परचेज क्लस के सामान्य प्राविधानों व समय-समय पर जारी निविदा एवं अनुबन्ध प्रणाली से संबंधित सामान्य निर्देशों के अनुरूप तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा:-

- (क) केवल ब्राण्डेड/ओरिजनल एक्विपमेंट मैनुफ़क्चरर अथवा उनके अधिकृत डीलर/विक्रेता से ही कम्प्यूटर कृय किया जायेगा।
- (ख) कृय में सामान्यतः मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। कम्प्यूटर कृय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण भी संबंधित कृय समिति द्वारा किया जायेगा।
- (ग) कम्प्यूटर कृय केवल खुली निविदा से किया जायेगा जो कि दो भागों में-टेक्निकल बिड व फाइनेन्सियल बिड होगी और यह दोनों अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पायी गई निविदाओं की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी।
- (घ) वांछित विशेषताओं एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने के बाद इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (ङ) फाइनेन्सियल बिड खुलने के बाद कोई निगोशियेशन नहीं किया जायेगा।
- (च) टेण्डर प्रक्रिया एवं कृय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जायेगी।
- (छ) यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स या ड्यूटी घटती है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य तदनुसार घटाया जायेगा।
- (ज) कम्प्यूटर कृय हेतु एक मॉडल टेण्डर डाक्यूमेन्ट बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेब साइट www.upgov.up.nic.in/infotech पर डासा जा रहा है।

10. उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्त्रोत से किये गये क्य पर लागू होगा। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

ह0/-
(ओ. एन. वैद)
प्रमुख सचिव

संख्या-08(1)/78 -आई0टी0-2-2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
8. राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 डेस्क, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक हिलट्रान, लखनऊ।
12. श्री एस.एफ.ए. नकवी, वेब कन्ट्रोलर, यू.पी. आनलाइन मदर पोर्टल, एन.आई.सी. लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

1

प्रेषक,

असण्ड प्रताप सिंह
औद्योगिक विकास आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

लेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-1056/78-आईटीओ-2001/25आईटीओ-2001

आईटीओ एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग,

सलगनऊ दिनांक 01 अगस्त, 2001

विषय: कम्प्यूटर कय प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के कय के विषय में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार के विषय में विसंगतिया उत्पन्न होती हैं। अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है:-

1. कम्प्यूटर कय केवल सुली निविदा से किया जायेगा। कय प्रक्रिया में निविदा दो भागों में, जिनमें एक टेक्निकल बिड और दूसरी फाइनेन्शियल बिड अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेगी। सभी कम्प्यूटर विभागों से अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्धारित तिथि तक अपनी आवश्यकता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित कर दें, जिससे उनकी आवश्यकता का समावेश टेंडर में किया जा सके। कय में सामान्यतया मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। वर्ष में ₹० 1.00 करोड़ की धनराशि से अधिक के कम्प्यूटर कय की दशा में विभाग का विकल्प होगा कि वह कय प्रक्रिया अपने स्तर पर ही आयोजित करें। उस दशा में विभागीय सचिव कय समिति का अध्यक्ष होगा। अन्य प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार समान होगी।
2. केवल ओरिजनल कम्प्यूटर इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर से कय किया जायेगा।
3. बड़ी मात्रा में कय के मामले में आपूर्ति/कय आदेश एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने का निर्णय कय समिति द्वारा एल-1 की क्षमता एवं अन्य प्रसांगिक बिन्दुओं को देखते हुए की जायेगी।
4. निविदा में शर्तों में यह शर्त भी रखी जायेगी कि निविदा में उल्लिखित मॉडल की आपूर्ति, आपूर्ति की तिथि को उच्चकृत विशिष्टियों सहित की जायेगी।
5. कय हेतु कम्प्यूटर की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण निम्नवत् 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।
 - (1) प्रशासनिक विभाग के सचिव
 - (2) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव
 - (3) वित्त विभाग के सचिव
 - (4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक विशेषज्ञ, जिसे प्रशासनिक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से नामित करेंगे।
 - (5) सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी स्टोर परचेज) या उनके प्रतिनिधि।यही समिति कय समिति के तौर पर भी कार्य करेगी।

6. टेक्निकल बिड में आपूर्तिकर्ता को सक्षम पाये जाने के बाद फाइनेशियल बिड, खोलने के बाद कोई निगोशियेशन नहीं किया जायेगा।
7. रु 10.00 लाख की सीमा तक कम्प्यूटर हाडवेयर कय करने के लिये यदि किसी विभाग ने अपनी आवश्यकता सूचित नहीं की तो वह अनुमोदित पैनल के आपूर्तिकर्ता (ओं) में से किसी को अपने विकल्पानुसार कयादेश जारी कर सकेंगे। उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्रोत से किये गये कय पर लागू होंगे कय में यह व्यवस्था भी रखी जायेगी कि यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स या इयुटीज घटती है तो मूल्य तदनुसार घटा जायेगा।

भवदीय,

ह0/-

(अखण्ड प्रताप सिंह)
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या-1056(1)/78-आईटी0-2001/25आईटी0-2001तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आभिसर मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आभिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
8. राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक हिल्ट्रान, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष सचिव